जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 16.11.2023**

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में दहेज के लिये प्रताडित कर हत्या करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा व 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

वर्ष 2015 में अभियुक्त रोबिन पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम कसेरवा खुर्द थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली हाल पता टीचर्स कालोनी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा अपनी पत्नी की दहेज के लिये प्रताडित कर हत्या कर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 568/2015 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त रोबिन उपरोक्त को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा नियमित प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 16.11.2023 को माननीय न्यायालय एफटीसी-1 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त रोबिन उपरोक्त को धारा 304बी भादवि में आजीवन कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 498ए भादवि में 03 वर्ष कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 02 वर्ष कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उपरोक्त धाराओं में 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1. रोबिन पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम कसेरवा खुर्द थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली, हाल पता टीचर्स कालोनी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में शामली पुलिस द्वारा अवैध हथियार के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।</u>

वर्ष 2023 में अभियुक्त मुबारिक पुत्र मुश्तकीम निवासी ग्राम खन्द्रावली सलहाखेडी थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 194/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में थाना कांधला पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुआ था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.11.2023 को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त मुबारिक उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 07 माह के कारावास की सजा एवं 2,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.मुबारिक पुत्र मुश्तकीम निवासी ग्राम खन्द्रावली सलहाखेडी थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनाकं 16.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के निर्देशन के आदेशानुसार वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में , क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व मे थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलात प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.तालिब उर्फ काला पुत्र मंजूर निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री राजकमल थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 विपिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.का0 संदीप कुमार थाना कांधला जनपद शामली।